अध्याय 6

सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

86. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008 है ।

(2) यह 1 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं।

87. इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1994 का 32

(क) ''अध्याय'' से वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 अभिप्रेत है ;

(ख) ''अभिहित प्राधिकारी'' से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ;

(ग) ''व्यक्ति'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध कोई बकाया कर लंबित है ;

(घ) ''विहित'' से इस स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(ङ) ''बकाया कर'' से अध्याय के अधीन देय या संदेय या उद्ग्रहणीय, किंतु 1 मार्च, 2008 को असंदत्त ऐसा सेवा कर, उपकर, ब्याज या शास्ति अभिप्रेत है, जिसकी बाबत,—

(i) अध्याय के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(ii) अध्याय के अधीन 1 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व मांग सूचना या हेतुक दर्शित करने की सूचना जारी की गई है ;

(च) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं ।

स्कीम का लागू होना।

88. यह स्कीम अवधारण के किसी विनिश्चय, आदेश, यथास्थिति, ऐसी किसी मांग सूचना या हेतुक दर्शित करने की सूचना को लागू नहीं होगी,—

(i) जो बकाया कर, जिसके अंतर्गत सेवा कर भी है, से संबंधित है और ऐसे सेवा कर की रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक है ; या

1994 का 32

(ii) जहां ऐसा आदेश या सूचना वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73क के अधीन किया गया है या जारी की गई है ।

कर संदाय का समाधान।

89. इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई व्यक्ति, 1 जुलाई, 2008 को या उसके पश्चात्, किंतु 30 सितंबर, 2008 को या उसके पूर्व, ऐसे बकाया कर की बाबत धारा 90 के उपबंधों के अनुसार अभिहित प्राधिकारी को कोई घोषणा करता है, वहां अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम इसमें नीचे विनिर्दिष्ट दरों से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां बकाया कर, यथास्थिति, अवधारण या निर्धारण या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के किसी आदेश के कारण उद्भूत हुआ है,—

(i) ऐसे बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की सेवा कर की रकम सम्मिलित है, वहां सेवा कर की रकम के पचास प्रतिशत की दर से ;

(ii) ऐसे बकाया कर में केवल, अध्याय के अधीन, संदेय ब्याज, उद्‌गृहीत शास्ति या दोनों समाविष्ट हैं, वहां ऐसे बकाया कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से :

परंतु यदि उद्‌गृहीत शास्ति की रकम, उस सेवा कर की रकम से, जिससे वह संबंधित है, अधिक हो जाती है, तो सेवा कर की रकम को शास्ति की रकम माना जाएगा ;

(ख) जहां बकाया कर, यथास्थिति, हेतुक दर्शित करने की सूचना या मांग सूचना के कारण उद्‌भूत हुआ है,—

(i) ऐसे बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की सेवा कर की रकम सम्मिलित है, वहां सेवा कर की रकम के पचास प्रतिशत की दर से ;

(ii) ऐसे बकाया कर में केवल, अध्याय के अधीन, संदेय ब्याज, उद्‌ग्रहणीय शास्ति या दोनों समाविष्ट हैं, वहां अधिकतम उद्‌ग्रहणीय शास्ति और संदेय ब्याज के पच्चीस प्रतिशत की दर से :

परंतु यदि उद्‌ग्रहणीय शास्ति की रकम, उस सेवा कर की रकम से, जिससे वह संबंधित है, अधिक हो जाती है, तो सेवा कर की रकम को शास्ति की रकम माना जाएगा ।

घोषणा में दी जाने वाली विशिष्टियां।

90. धारा 89 के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी को की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी तथा ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

बकाया कर के संदाय का समय और रीति।

91. (1) अभिहित प्राधिकारी, धारा 89 के अधीन घोषणा के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम का, आदेश द्वारा अवधारण करेगा :

परंतु जहां घोषणा में की गई कोई तात्विक विशिष्टि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किसी प्रक्रम में मिथ्या पाई जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि घोषणा कभी नहीं की गई थी और अध्याय के अधीन सभी लंबित कार्यवाही पुनः प्रवर्तित हुई समझी जाएगी ।

(2) घोषणाकर्ता, उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि का संदाय करेगा और ऐसे संदाय के तथ्य की उसके सबूत सहित अभिहित प्राधिकारी को सूचना देगा और तब अभिहित प्राधिकारी घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) इस स्कीम के अधीन संदेय राशि का अवधारण करने वाला उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश उसमें कथित विषयों की बाबत निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को अध्याय के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में पुनः खोला नहीं जाएगा ।

(4) जहां घोषणाकर्ता ने किसी प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय के समक्ष बकाया कर के कारण दिए जाने वाले किसी आदेश या सूचना के विरुद्ध कोई अपील, निर्देश या हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का प्रत्युत्तर फाइल किया है, वहां अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपील, निर्देश या उत्तर वापस ले लिया गया समझा जाएगा :

परंतु जहां घोषणाकर्ता ने किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष बकाया कर के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध रिट याचिका, अपील या निर्देश फाइल किया है, वहां घोषणाकर्ता ऐसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश वापस लेने के लिए आवेदन फाइल करेगा और न्यायालय की इजाजत से ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश के वापस ले लिए जाने के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट संसूचना के साथ ऐसे वापस लेने का सबूत देगा ।

कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही न किया जाना।

92. कोई अपील प्राधिकारी, घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया कर से संबंधित ऐसे किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही नहीं करेगा, जिसकी बाबत अभिहित प्राधिकारी द्वारा धारा 91 के अधीन कोई आदेश किया गया है ।

स्कीम के अधीन संदत्त रकम का लौटाया न जाना।

93. धारा 89 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त कोई रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाई नहीं जाएगी ।

शंकाओं का दूर किया जाना।

94. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 91 की उपधारा (3) में अभिव्यक्त रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस स्कीम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को उन बातों के सिवाय, जिनके संबंध में घोषणा की गई है, किन्ही कार्यवाहियों में कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करती है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

95. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

96. (1) केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा धारा 90 के अधीन की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा ;

(ख) उस प्रमाणपत्र का प्ररूप, जो धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया जा सकेगा ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत उपबंध किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों से पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।